P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-I*September-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अलवर–मेवात क्षेत्र की हिन्दू कृषक जातियों के विवाह नियम (एक भू–सांस्कृतिक अध्ययन)

वेद प्रकाश यादव
व्याख्याता,
भूगोल विभाग,
बा.शो.रा.राजकीय कला महाविद्यालय,
अलवर

सारांश

विवाह एक सार्वभौमिक घटना है जो विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। प्रत्येक समाज के अपने विवाह–नियम होते हैं जो यह निश्चय करते हैं कि किन–किन के मध्य विवाह–सम्बन्ध हो सकते हैं तथा किनके मध्य नहीं। भौगोलिक भिन्नताएँ समाज की सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यताओं, परम्पराओं एवं मूल्यों को प्रभावित करती हैं। इन सामाजिक–सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण विवाह नियमों में क्षेत्रीय एवं जातीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। हिन्दुओं में प्राचीनकाल से विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है जिससे पति–पत्नी के मध्य जन्म–जन्मान्तरों का सम्बन्ध स्थापित होता है। साथ ही दो परिवार भी सम्बन्ध के सूत्र में बँध जाते हैं।

राजस्थान के अलवर–मेवात क्षेत्र में ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, अहीर, जाट, गुर्जर, माली, मेव, नाई, कुम्हार, खाती, माली आदि जातियाँ निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त चमार, बैरवा, जाटव, मेहतर, बलाई, कोली आदि अनुसूचित जातियाँ तथा मीणा, धानका आदि अनुसूचित जनजातियाँ भी सदियों से इस क्षेत्र में निवास कर रही हैं। इस अंचल की प्रमुख कृषक जातियाँ अहीर, जाट, गुर्जर (हिन्दू) तथा मेव (मुस्लिम) हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय आज भी कृषि ही है।

अलवर–मेवात क्षेत्र में परिवार पितृ–स्थानिक, पितृ–सत्तात्मक एवं पितृ–वंशीय पाये जाते हैं। यहां विवाह सामान्यतया घर के बुजुर्गों द्वारा वर–वधू दोनों पक्षों की सहमति से निश्चित किये जाते हैं जो सगे–सम्बन्धियों, नातेदारों, रिश्तेदारों, मित्रों की उपस्थिति में सम्पन्न होते हैं। इस क्षेत्र में विवाह वंश एवं स्थान बर्हिविवाह तथा जाति अन्तर्विवाह के नियमों पर आधारित हैं। वर पक्ष की उच्च प्रस्थिति एवं वधू पक्ष की निम्न प्रस्थिति पर आधारित 'सिराहणा–पगांत का नियम' भी विवाह निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। शिक्षा, संचार, परिवहन साधनों का तीव्र विकास एवं विस्तार तथा पश्चिमी जगत से प्रभावित प्रगतिशील विचारों ने समाज की परम्पराओं, मान्यताओं, मूल्यों को प्रभावित किया है। इसी कारण जाति–अन्तर्विवाह एवं सिराहणा–पगांत नियमों में कहीं–कहीं थोड़ी शिथिलता दिखाई देने लगी है।

मुख्य शब्द :पितृ–स्थानिक, पितृ–सत्तात्मक, पितृ–वंशीय, नातेदार, ग्राम बहिर्विवाह, सपिण्ड बहिर्विवाह, जाति अन्तर्विवाह, सीम–सिमाली भाईचारा, सिराहणा–पगांत का नियम, सहोदर, नानी–कानी, पितृवर्तीय, मातृवर्तीय, मिश्रित गाँव, क्षेत्रीय–भिन्नता।

प्रस्तावना

विवाह एक सार्वभौमिक घटना है जो विश्व के सभी समाजों में पायी जाती है। हिन्दू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है जो हिन्दुओं में प्रचलित 16 संस्कारों में से प्रमुख संस्कार है। भारत में विवाह परम्परागत रूप से घर के बुजुर्गों द्वारा वर–वधू पक्ष की सहमति से निश्चित किया जाता है जो दोनों पक्षों के सगे–सम्बन्धियों, नातेदारों, रिश्तेदारों, मित्रों की उपस्थिति में सम्पन्न होता है। विवाह न केवल दो व्यक्तियों (वर–वधू) बल्कि दो परिवारों का मधुर मिलन है।[1] इस सम्बन्ध से सम्बन्धित परिवारों के मध्य प्रेम एवं निकटता में वृद्धि होती है। विवाहोपरान्त दोनों परिवारों में रिश्तेदारी सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जो अनेक पीढ़ियों तक चलता है। पारम्परिक रूप से विवाह वर–वधू के मध्य जन्म–जन्मान्तर का सम्बन्ध स्थापित करता है जहाँ अलगाव एवं तलाक का कोई स्थान नहीं होता; परन्तु भारत सरकार के हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने हिन्दू विवाह के स्वरूप एवं प्रकृति को परिवर्तित कर दिया है। इस अधिनियम के बाद हिन्दू विवाह एक सामाजिक एवं विधिक समझौता बनकर रह गया है।[2] यद्यपि

परम्परागत समाज विद्यमान कानून के बावजूद विवाह के प्राचीन स्वरूप को बनाए रखने हेतु प्रयासरत दिखाई देता है।

अलवर–मेवात क्षेत्र में परिवार का स्वरूप पितृ–स्थानिक, पितृ–सत्तात्मक एवं पितृ–वंशीय है।[3] जहाँ विवाहोपरान्त लड़की वधू के रूप में पति के घर प्रवास कर जाती है। पति का घर ही अब उसका अपना घर बन जाता है तथा पिता के घर के लिए वह मेहमान बन जाती है।

राजस्थान के अलवर–मेवात क्षेत्र में ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, अहीर, जाट, गुर्जर, माली, मेव, नाई, कुम्हार, खाती, माली आदि जातियाँ निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त चमार, बैरवा, जाटव, मेहतर, बलाई, रैगर, कोली आदि अनुसूचित जातियाँ तथा मीणा, धानका आदि अनुसूचित जनजातियाँ निवास कर रही हैं। इस अंचल की प्रमुख कृषक जातियाँ अहीर, जाट, गुर्जर (हिन्दू) तथा मेव (मुस्लिम) हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय आज भी कृषि ही है।

अलवर–मेवात क्षेत्र : भौगोलिक परिचय

मेवात क्षेत्र एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रदेश है। यहाँ की विशिष्ट लोक संस्कृति, लोकसाहित्य, बोली एक अलग पहचान रखती है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र मत्स्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। मेवात क्षेत्र हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के मिलन स्थल वाले सीमावर्ती जिलों में फैला है। इसकी सीमाओं को एक मेवाती कवि ने इस प्रकार बतलाया है

इत दिल्ली उत आगरो इत अलवर बैराठ।
काळो पहाड़ सुवाहणो जाके बीच बसै मेवात।।[4]

एक अन्य मेवाती कवि ने इसकी सीमाओं को निम्न प्रकार बतलाया है

दिल्ली सूं बैराठ तक मथुरा पश्चिम राठ।
बसै चौकड़ा बीच में मज्झ मुलक मेवात।।[5]

उक्त काव्य पंक्तियों से स्पष्ट है कि मेवात का विस्तार उत्तर में दिल्ली तक तथा दक्षिण में बैराठ (विराट नगर) तक है। पूर्व में मथुरा–आगरा तक इसका फैलाव है तो पश्चिम में राठ क्षेत्र तक मेवात क्षेत्र है। वर्तमान में मेवात क्षेत्र प्रमुख रूप से हरियाणा के मेवात जिले, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की कोसी, छत्ता तहसील, राजस्थान के भरतपुर जिले की कामां, डीग, नगर, पहाडी तहसीलों एवं अलवर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। अलवर–मेवात क्षेत्र इसी विस्तृत मेवात क्षेत्र का वह भाग है जो अलवर जिले (राजस्थान) के अन्तर्गत आता है। अलवर जिले की तिजारा, किशनगढ़–बास, रामगढ़, अलवर, लक्ष्मणगढ़, कोटकासिम तहसील अलवर–मेवात क्षेत्र में शामिल हैं।

यह क्षेत्र अलवर जिले के पूर्वी भाग में $27^0 8'$ उत्तरी अक्षांश से $28^0 12'$ उत्तरी अक्षांश एवं $76^0 28$ पूर्वी देशान्तर से $77^0 13'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है जोकि 3408.26 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है।[6] अधिकांश भू–भाग समतल मैदानी है। कहीं–कहीं अरावली श्रेणियों से निकले नदी–नालों ने अपरदन द्वारा इसे ऊबड–खाबड़ बना दिया है। मुख्यतया दुमट किस्म की मिट्टी पाई जाती है जो फसलोत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। कहीं–कहीं रेतीली मिट्टियां भी मिलती हैं लेकिन ये भी जल उपलब्ध होने पर भरपूर फसल देती हैं। क्षेत्र में ग्रीष्मकाल काफी गर्म एवं शीतकाल पर्याप्त ठण्डा होता है। ग्रीष्मकाल में उच्चतम तापमान 48^0c तक पहुँच जाते हैं तथा शीतकाल में न्यूनतम तापमान कभी–कभी जमाव बिन्दु तक पहुँच जाते हैं।[7] वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है जो जुलाई–अगस्त माह के दौरान सर्वाधिक होती है। शीतकाल में भूमध्यसागरीय चक्रवातों से दिसम्बर–जनवरी में थोड़ी वर्षा होती है जिसे 'मावठ' कहा जाता है। मावठ रबी फसल के लिए अमृत तुल्य होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 62 सेमी. है।[8]

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं–

1. अलवर–मेवात क्षेत्र की कृषक जातियों में प्रचलित विवाह नियमों का अध्ययन करना।
2. क्षेत्र की कृषक जातियों के विवाह नियमों में हो रहे परिवर्तनों का पता लगाना।

परिकल्पना

अलवर–मेवात क्षेत्र की कृषक जातियों के विवाह नियम वंश एवं स्थान बर्हिविवाह तथा जाति अन्तर्विवाह के नियमों पर आधारित हैं।

विधितन्त्र

अध्ययन में साक्षात्कार एवं प्रत्यक्ष अवलोकन विधि का उपयोग कर तथ्यों का संकलन किया गया है। तत्पश्चात् तथ्यों का विश्लेषण–व्याख्या कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं।

अलवर–मेवात क्षेत्र की कृषक जातियों में प्रचलित विवाह–नियम

प्रत्येक समाज के अपने विवाह–नियम होते हैं जो विवाह निश्चित करने के लिए समाज का मार्गदर्शन करते हैं। ये नियम समाज को अनुशासन में बाँधकर उसे अव्यवस्था एवं कुव्यवस्था से बचाते हैं। अलवर–मेवात कृषक समाज की सभी जातियों में परम्परागत रूप से सामान्यतया एक समान विवाह नियमों को माना जाता है। ये विवाह नियम सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यताओं, परम्पराओं, मूल्यों पर आधारित होते हैं। क्षेत्र में दीर्घकालीन प्रत्यक्ष अवलोकन, कृषक समाज की विभिन्न जातियों के बुजुर्गों से लिये गए साक्षात्कार के आधार पर पता चलता है कि यहाँ की कृषक जातियों में बहिर्विवाह एवं अन्तर्विवाह सम्बन्धी कुछ विशिष्ट नियम प्रचलन में हैं। इन नियमों को मोटे तौर पर अग्रांकित प्रकारों में व्यक्त कर सकते हैं–

1. सगोत्र बहिर्विवाह नियम (Gotra Exogamy)
2. सपिण्ड बहिर्विवाह (Sapinda Exogamy)
3. स्थान बहिर्विवाह नियम (Spatial Exogamy)
4. जाति अन्तर्विवाह नियम (Caste Endogamy)[9]

इन नियमों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है।

सगोत्र बहिर्विवाह नियम (Gotra Exogamy)

उत्तर भारत में विवाह करते समय इस नियम का पालन किया जाता है। बहिर्विवाह से अर्थ है किसी समूह विशेष से बाहर विवाह करना। अलवर–मेवात क्षेत्र की प्रमुख कृषक जातियाँ अहीर, जाट, गुर्जर (हिन्दू) इस नियम का पालन करती हैं। सगोत्र बहिर्विवाह से तात्पर्य

अपने गोत्र समूह से बाहर के व्यक्ति से विवाह करने से है। अर्थात् समान गोत्र से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों के मध्य विवाह सम्बन्ध निषेध है।

समान गोत्र के लोग अपने को एक ही पूर्वज (पुरुष) की सन्तान मानते हैं।[10] गोत्र एक विशाल बन्धुत्व समूह है। अतः सगोत्री लोगों के हमउम्र महिला पुरुष परस्पर बहिन–भाई माने जाते हैं। इसी प्रकार बड़ी–छोटी उम्र के हिसाब से ये परस्पर ताऊ, बाबा, चाचा, बूआ, बेटी आदि नातेदारी सम्बन्ध मानते हैं। इस कारण सगोत्री लोगों के मध्य विवाह सम्बन्ध वर्जित हैं। कई एकाकी परिवार मिलकर संयुक्त परिवार, कई संयुक्त परिवार मिलकर वंश समूह और कई वंश समूह मिलकर सगोत्र समूह का निर्माण करते हैं। यह नियम मूलतः ब्राह्मण विवाह नियम है जो कालान्तर में अन्य जातियों ने भी अपना लिया। अतः इन हिन्दू कृषक जातियों में परिवार, वंश समूह एवं सगोत्र समूह बहिर्विवाह समूह हैं। जिनके व्यक्ति परस्पर विवाह नहीं कर सकते। इन जातियों में गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा है। ये जातियाँ चार गोत्र छोड़कर विवाह सम्बन्ध बनाती हैं जिनमें प्रथम गोत्र स्वयं का (वर या वधू का), दूसरा गोत्र वर/वधू की माँ का, तीसरा गोत्र दादी का तथा चौथा गोत्र नानी का होता है। रिश्ता तय करने से पूर्व सर्वप्रथम गोत्र मिलान किया जाता है। यदि चारों गोत्रों में से कोई भी गोत्र मिल जाता है तो उन परिवारों के मध्य विवाह सम्भव नहीं हो पाता।

सपिण्ड बहिर्विवाह (Sapinda Exogamy)

इस क्षेत्र की इन हिन्दू जातियों में सपिण्ड विवाह भी निषेध हैं। सपिण्ड से आशय है समान पिण्ड या देह वाला। पिता–पुत्र, दादा–पोता, माता–पुत्र, नानी–दोहिता आदि सपिण्ड सम्बन्ध हैं। इस प्रकार सपिण्ड समूह में खून का रिश्ता होता है। समान खून होने के कारण इस समूह के लोगों में भी विवाह निषेध माना गया है। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार पिता की ओर से सात तथा माता की ओर से पाँच पीढ़ियों तक के सम्बन्धियों में विवाह करना वर्जित है जबकि महर्षि गौतम इसे क्रमशः आठ एवं छः पीढ़ियों तक वर्जित करते हैं। इस नियम के अनुसार विवाह की दो प्रकार की वर्जनाएं सामने आती हैं–पितृवर्तीय वर्जनाएं एवं मातृवर्तीय वर्जनाएं।[11] पितृवर्तीय वर्जनाओं के अन्तर्गत पितृवर्तीय नातेदारों–रिश्तेदारों यथा दादा–दादी, ताऊ–ताई, पिता–माता, चाचा–चाची, बुआ–फूफा तथा इनके बच्चों से विवाह वर्जित है। इसी प्रकार मातृवर्तीय वर्जनाओं के अन्तर्गत मातृवर्तीय रिश्तेदारों यथा मामा–मामी, नाना–नानी, मौसा–मौसी एवं इनके बच्चों से विवाह करना निषेध है। इन कृषक जातियों में सहोदर तथा समकक्ष बहिन–भाइयों यथा चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे बहिन–भाईयों के मध्य इसी नियम के अन्तर्गत विवाह सम्बन्ध वर्जित है।

स्थान बहिर्विवाह नियम (Spatial Exogamy)

उत्तर भारत में एक ही गाँव के हमउम्र लोग अपने को बहिन–भाई मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि मूलतः ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। कालान्तर में सन्तति वृद्धि के कारण परिवार ने बड़ा आकार ग्रहण कर गाँव का रूप धारण कर लिया है। अतः एक ही वंश समूह का माना जाने के कारण व्यक्ति द्वारा अपने ही गाँव की महिला–पुरुष से विवाह निषिद्ध है। इसे ग्राम बहिर्विवाह (Village exogamy) कहा जाता है। अलवर–मेवात की अहीर, जाट, गुर्जर कृषक जातियों में भी यह नियम माना जाता है। अतः इन जातियों में अपने ही गाँव में विवाह सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता।

इस क्षेत्र की कृषक जातियाँ अपने सीमावर्ती गाँवों के लोगों से भी विवाह सम्बन्ध स्थापित नहीं करते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कृषक कृषि भूमि विस्तार के लिए अपने गाँव के बाहर की तरफ स्थित जंगल को काटकर खेत बनाता गया। कालान्तर में वह वहीं बस गया। शनैः शनैः उसके कुछ अन्य भाई बन्धु भी बस गए तथा कालान्तर में परिवार बढ़ते गए और एक नये गाँव का निर्माण हो गया। अतः सीमावर्ती गाँवों के लोग भी परस्पर भाई–भाई माने जाते हैं। तिजारा के जोड़िया गाँव के बारह नंगले मेवात क्षेत्र में इस संकल्पना को प्रमाणित करते हैं। यद्यपि यह बात सभी जगह लागू हो ऐसा आवश्यक नहीं है। स्वतंत्र रूप से भी गाँवों की स्थापना होती ही है। यही कारण है कि सीमावर्ती गाँवों में भी गोत्र सम्बन्धी भिन्नाताएं स्पष्टतौर पर दिखाई देती हैं।

इस क्षेत्र के लोग सीमावर्ती गाँवों से विवाह सम्बन्ध नहीं करते। इस नियम को स्थानीय स्तरपर 'सीम–सिमाली भाईचारा' का नियम (Seem-Simali Bhaichara) कहा जाता है।[12]

जाति अन्तर्विवाह (Caste Endogamy)

एण्डोगेमी ग्रीक भाषा का शब्द है। endo का अर्थ है पूँजीपद अर्थात् भीतर (अन्दर) तथा Gamy का अर्थ विवाह से है। अतः Caste endogamy से आशय अपनी ही जाति के अन्दर विवाह करने से हैं। इस क्षेत्र की सभी कृषक जातियाँ उत्तर भारत के इस ब्राह्मण विवाह नियम का अनुसरण करती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वैदिक तथा उत्तरवैदिक काल में द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) अन्तर्विवाही समूह थे। धीरे–धीरे वर्ण कई जातियों, उपजातियों में विभक्त हो गए। इन जातियों–उपजातियों ने विवाह सम्बन्धों की दृष्टि से अपने को अन्तर्विवाही समूह बना लिया। आज भी यह नियम इस पूरे क्षेत्र में प्रचलित है। वर–वधू का चुनाव अपनी ही जाति के भीतर किया जाता है। जाति अन्तर्विवाह नियम विवाह के चुनाव क्षेत्र को सीमित एवं संकुचित कर देता है।

सिराहरणा–पगांत का नियम[13]

बहिर्विवाह नियमों के अन्तर्गत अलवर–मेवात क्षेत्र की कृषक जातियों में यह विवाह नियम भी पाया जाता है कि जिस गाँव से लड़की (वधू) ली है उस गाँव में अपनी बेटी वधू के रूप में नहीं देंगे। अर्थात् वधू देने वाले कभी भी वधू लेने वाले नहीं हो सकते।

(Wife Giver Cannot Be Wife Taker) यह नियम वर–वधू पक्ष की सामाजिक प्रस्थिति (social status) से जुड़ा है। उत्तर भारत में वर पक्ष की सामाजिक प्रस्थिति वधू पक्ष की सामाजिक प्रस्थिति से सदैव उच्च मानी जाती है। वर पक्ष अपनी सामाजिक प्रस्थिति को उच्च बनाए रखने के लिए जिन गाँवों से वधू लेता है उन गाँवों को वधू के रूप में अपनी बेटियां देता नहीं वरना वूध देने के

कारण वह निम्न सामाजिक प्रस्थिति में आ जाएगा। यहाँ के ग्रामीण समाज में बैठने का प्रमुख साधन पहले चारपाई हुआ करता था। चारपाई पर जिस तरफ सिर रखा जाता है उस स्थान को स्थानीय भाषा में सिराहणा (Sirahana) तथा जिस सिरे पर पैर रहते हैं उस स्थान को पगांत (pagant) कहा जाता है। जिस प्रकार सिर की प्रस्थिति पैरों से उच्च मानी जाती है उसी प्रकार चारपाई पर बैठने वाले वर–पक्ष तथा वधू पक्ष के लोग सदैव यह ध्यान रखते है कि उच्च प्रस्थिति के कारण वर पक्ष हमेशा सिराहणा की ओर तथा वधू–पक्ष पगांत की ओर बैठे। इस आधार पर किसी एक केन्द्रीय गाँव के लिए वधू देने वाले एवं वधू लेने गाँव भिन्न–भिन्न होंगे। वधू देने तथा लेने वाले गाँव उभयनिष्ठ (common) नहीं हो सकते। इस नियम को स्थानीय बोली में 'सिराहणा–पगांत' का नियम कहते हैं।

विवाह नियमों पर आधुनिकता का प्रभाव

विज्ञान–प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने संचार, परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। दुनियां सिमटकर छोटी होती जा रही है। व्यक्ति का बाह्य जगत से सम्पर्क बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी तीव्र विकास हुआ है। इससे व्यक्ति की परम्परागत सोच बदली है। उसके विचारों में खुलापन आने लगा है। वैश्वीकरण ने उदारवाद, व्यक्तिवाद, गतिशीलता को बढ़ाया है। इनके प्रभाव से भारत में संयुक्त परिवार टूटकर नाभिक परिवारों में बदलते जा रहे हैं। लेखक ने दिसम्बर 2015 में हिन्दू कृषक जातियों हिन्दू, जाट, गुर्जर में संयुक्त परिवार का सर्वेक्षण किया। तीन भिन्न–भिन्न गांवों में सर्वेक्षण किये गए। 250 परिवारों में से 88 प्रतिशत संयुक्त परिवार टूटकर नामिक परिवार का रूप ले चुके थे।

संयुक्त परिवार के तेजी से हुए विघटन से परिवारों पर बुजुर्गों की पकड़ बहुत कमजोर पड़ती जा रही है। परिवार टूटने से सामाजिक समरसता, सामाजिक दबाव भी बहुत कम हो गया है जिससे नई पीढ़ी के लोगों में स्वच्छन्दता की भावना उत्पन्न होती जा रही है। नवयुवक – नवयुवतियों में परम्पराओं, प्राचीन सामाजिक मूल्यों के प्रति आस्था तेजी से घट रही है। इसका प्रभाव सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचे पर दिखाई देने लगा है। ऐसे में विवाह संस्कार भला इस परिवर्तन से कैसे अछूता रह पाता। विवाह की रस्मों, विवाह प्रथाओं, विवाह नियमों में भी शनैः शनैः परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। अलवर–मेवात क्षेत्र के विवाह नियमों में निम्न परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं

जाति अन्तर्विवाह नियम का कमजोर होना

अलवर–मेवात क्षेत्र में किये गए अध्ययन में पाया कि उल्लेखित कृषक जातियों में अपवाद के तौर पर जाति अन्तर्विवाह के नियम का उल्लंघन पाया गया है। यद्यपि ऐसे विवाहों का सामाजिक विरोध होता है परन्तु युवा पीढ़ी के कुछ लोग विवाह को जाति बन्धनों से मुक्त करने की सोच रखते लगे हैं। तीन गाँवों में साक्षात्कार के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक दो अन्तरजातीय विवाह पाये गए। अन्तरजातीय विवाह यद्यपि हमारी परम्पराओं पर कुठाराघात हैं परन्तु नई पीढ़ी इसे बुरा नहीं मानती। सीनियर सैकण्डरी एवं इससे उच्च शिक्षा प्राप्त 50 युवकों एवं 20 युवतियों में से 12 युवकों एवं 03 युवतियों ने अन्तरजातीय विवाह को बुरा नहीं माना। उन्होंने माना कि यदि परस्पर सहमति से दो भिन्न जाति के युवक–युवतियों में विवाह होता है तो वह अच्छा है। इससे जातिवाद खत्म होने में मदद मिल सकती है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में जाति अन्तर्विवाह नियम कमजोर पड़ेगा तथा अन्तरजातीय विवाह बढ़ेंगे।

सगोत्र बहिर्विवाह नियम में संशोधन

सगोत्र बहिर्विवाह के नियम में वर्तमान में थोड़ा संशोधन होने लगा है। चार गोत्रों की बजाय अब इन कृषक जातियों में कहीं–कहीं नानी के गोत्र को नहीं मिलाने का चलन हो चला है। इसे यहाँ नानी–कानी कहा जाता है। यद्यपि सभी परिवारों में ऐसा नहीं है। करीब 15 प्रतिशत परिवार नानी–कानी करने लगे हैं। लेकिन नानी का गोत्र यदि स्वयं या माँ के गोत्र से मिल जाता है तो उस स्थिति में विवाह नहीं होता है। सामान्यतया नानी–कानी के मामले में वर–वधू दोनों पक्षों की नानी का गोत्र परस्पर मिल जाए तो विवाह को निषिद्ध नहीं माना जाता।

सिराहणा–पगांत के नियम में शिथिलता

अध्ययन क्षेत्र में सिराहणा–पगांत के नियम में शिथिलता आती जा रही है। बढ़ते शिक्षा के प्रसार, योग्य वर–वधू मिलने में आने वाली परेशानी, सामाजिक मान्यताओं–मूल्यों में हो रहे परिवर्तन के कारण आज वधू लेने वाले गाँव वधू देने वाले गाँव भी बनने लगे हैं। किसी एक केन्द्रीय गाँव 'अ' में गाँव 'ब' से बहुएं आई हैं तथा उस केन्द्रीय गाँव 'अ' की लड़कियाँ उस वधू देने वाले गाँव 'ब' में बहुएं बनकर गई भी हैं तो गाँव 'ब' केन्द्रीय गाँव 'अ' के लिए मिश्रित गाँव (mixed village) कहलायेगा।[14] अध्ययन क्षेत्र में दिसम्बर 2012 में किए गए सर्वेक्षण में लेखक ने पाया कि पाटण अहीर केन्द्रीय गाँव के लिए ऐसे मिश्रित गाँवों की संख्या 10, बम्बोरा (जाट बाहुल्य गाँव) के लिए 06 तथा धोंकड़ी (गुर्जर गाँव) के लिए मिश्रित गाँवों की संख्या 05 थी। स्पष्ट है कि क्षेत्र में वधू लेने वाले गाँव वधू देने वाले गाँवों को वधू देने भी लगे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 'सिराहणा–पगांत का नियम' कमजोर होकर शिथिल पड़ता नजर आ रहा है।

निष्कर्ष

अध्ययन से पता चलता है कि अलवर–मेवात क्षेत्र की हिन्दू कृषक जातियाँ अपने परम्परागत विवाह नियमों को आज भी अपनाये हुए हैं। सगोत्र–बहिर्विवाह, सपिण्ड–बहिर्विवाह, स्थान–बहिर्विवाह, जाति–अन्तर्विवाह के नियम सभी कृषक जातियों द्वारा पालन किये जा रहे हैं जो हमारी परिकल्पना को समर्थन प्रदान करते हैं। गत कुछ वर्षों से चार के स्थान पर तीन गोत्र बचाने का चलन सामने आया है। नानी के गोत्र को उपेक्षित कर दिया जाने लगा है परन्तु आज भी क्षेत्र के कम से कम 85 प्रतिशत परिवार चार गोत्र के नियम को ही मानते हैं। अपवादस्वरूप क्षेत्र में अन्तरजातीय विवाह पाये गये हैं। नई पीढ़ी से लिये गए साक्षात्कार में 24 प्रतिशत युवकों तथा 15 प्रतिशत युवतियों ने अन्तरजातीय विवाह को अच्छा माना है तथा जाति–अन्तर्विवाह की अनिवार्यता को

अच्छा नहीं माना। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्र में आगामी समय में जाति–अन्तर्विवाह का नियम कमजोर पड़ेगा। अध्ययन क्षेत्र में तीन केन्द्रीय गांवों के 21 मिश्रित गाँव पाये गए हैं। ये 21 मिश्रित गाँव अपने–अपने केन्द्रीय गाँव को बहुएं दे भी रहे हैं तथा वहाँ से बहुएं ले भी रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि सिराहणा–पगांत का नियम भी कमजोर पड़ रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रेम सहाय : हिन्दू विवाह संस्कार 1995, पृ. 28, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
2. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाशः भारतीय सामाजिक संस्थाएं 1997, पृ. 111, पंचशील प्रकाशन जयपुर
3. Singh Jaipal and Khan Mumtaz : Mythical space, cosmology and landscape towards a cultural geography of India, 2002, p. 155, Manak Publication Pvt. Ltd. Delhi
4. मेव सिद्दीक अहमद, मेवात एक खोज 1997, पृ. 23, दोहा तालीम समिति दोहा, जिला गुडगांव,
5. मेव सिद्दीक अहमद : मेवाती संस्कृति 1999, पृ. 24, दोहा तालीम समिति दोहा, जिला गुडगांव
6. Khandelwal Rashi, Locational Analysis of the Patterns of Rural Settlements in Mewat Region of Alwar District, P. 16,Unpublished Ph.D. Thesis 2008, University of Rajasthan, Jaipur
7. वही, पृ. 19
8. वही, पृ. 20
9. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाशः भारतीय सामाजिक संस्थाएं 1997, पृ. 113–115, पंचशील प्रकाशन जयपुर
10. जैन शोभिता, भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी 1996, पृ. 92, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
11. गुप्ता, डॉ. मिथलेश (सं.) भूमण्डलीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन 2013, पृ. 181, गौतम बुक कम्पनी, जयपुर
12. Yadav Shushma : "Marital Migration in the district of Rewari, A Socio Cultural Analysis, 2012, p. 52, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Rajasthan, Jaipur
13. गुप्ता, डॉ. मिथलेश (सं.) भूमण्डलीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन 2013, पृ. 182, गौतम बुक कम्पनी, जयपुर
14. Yadav Neetu : "Marital Migration in Alwar district (Rajasthan) 2009, p. 52, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Rajasthan, Jaipur